रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259341
CG-DL-E-11122024-259341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4941] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2024/अग्रहायण 19, 1946
No. 4941] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2024/AGRAHAYANA 19, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5339(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री मुनीश कुमार गर्ग, अध्यक्ष;
बी-1/528, चित्रकूट,
वैशाली नगर,
जयपुर-302021 (राजस्थान)।

(ii) श्री मनफूल सिंह, सदस्य;
55, पार्वती मार्ग, लायन्स लेन,
हनुमान नगर एक्सटेंसन सिरसी रोड,
जयपुर (राजस्थान)।

(iii) सचिव, सदस्य-सचिव।
पर्यावरण विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर (राजस्थान)।

2. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय राजस्थान राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा।

3. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में और साधारणतया सर्वसम्मति से लिए जाएंगे :

परंतु यदि विनिश्चय बहुमत से लिया जाता है तो कार्यवृत्त में उसके लिए और उसके विरुद्ध विस्तृत विचारों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा और उनकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

<u>राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1</u>

(i) श्री अजय कुमार गुप्ता, -अध्यक्ष;
बी-158 जनता कलोनी,
जयपुर (राजस्थान)।

(ii) श्री अक्षय सिंह, सदस्य;
फ्लैट नं. 401, आरुधा अपार्टमेंट्स,
डी-44 शांति पथ,
जयपुर (राजस्थान)।

(iii) श्री बुद्धि प्रकाश पारीक, सदस्य;
19, ब्रिज कलोनी, चंबल पावर हाउस के पीछे,
छाबड़ा मार्ग, हवा सड़क,
जयपुर-302019 (राजस्थान)।

(iv) श्री देवेन्द्र कुमार जोशी, सदस्य;
10, निर्मोही नगर, पुरानी चुंगी,
अजमेर रोड, जयपुर-302019 (राजस्थान)।

(v) श्री महेश चन्द्र शर्मा, सदस्य;
फ्लैन नं. 201, किंग्स लेंडिंग अपार्टमेंट,
ए-40, तिलक नगर, जयपुर (राजस्थान)।

(vi) श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सदस्य;
599, विजय नगर, बहरोड़ रोड,
अलवर (राजस्थान)।

(vii) श्री राजीव पारीक, सदस्य;
फ्लैट नं. 301, शीतल अपार्टमेंट,
शीतला माता मंदिर के नजदीक, न्यू कालोनी, गुमनपुरा,
कोटा राजस्थान -324007 (राजस्थान)।

IndiaCode

(viii) श्री ब्रह्म दत्त शर्मा, सदस्य;
ए-77, नेमि नगर,
गांधी पथ, वैशाली नगर,
जयपुर-302021 (राजस्थान)।

(ix) श्री नंद कुमार खरे, सदस्य;
प्लाट नं. 85, मोहन नगर,
गोपालपुरा बाइपास,
जयपुर-302018 (राजस्थान)।

(x) श्री उपेन्द्र पंडेल, सदस्य;
बी-15, स्टाफ कलोनी, एमएनआइटी,
जेएलएन मार्ग, जयपुर-302017 (राजस्थान)।

(xi) अपर मुख्य पर्यावरण अभियंता या वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, सदस्य-सचिव।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।

<u>राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2</u>

(i) श्री टीकम चन्द वर्मा, -अध्यक्ष;
सी-418, महेश नगर,
एशियर पब्लिक स्कूल के नजदीक,
जयपुर (राजस्थान)।

(ii) श्री अमर सिंह गोथवाल, सदस्य;
563-एस, हनुमान नगर एक्सटेंसन सिरसी रोड,
जयपुर-302012 (राजस्थान)।

(iii) श्री करन सिंह, सदस्य;
30, आफिसर्स कैंपस एक्सटेंसन,
शिव मार्ग, सिरसी रोड,
जयपुर-302012 (राजस्थान)।

(iv) श्री पुष्कर सिंह शेखावत, सदस्य;
बी-16, वैशाली नगर,
जयपुर (राजस्थान)।

(v) श्री खेम चंद गुप्ता, सदस्य;
7-ए, दयाल नगर, गोपालपुरा बाइपास,
जयपुर-302015 (राजस्थान)।

(vi) श्री राकेश गुप्ता, सदस्य;
बी-539, इन्द्रा विहार,
कोटा-324005 (राजस्थान)।

(vii) श्री ओम प्रकाश पारीक, सदस्य;
फ्लैट नं. ए-1602, मंगलम रेडिएंस,
होटल रायल आर्चिड के नजदीक, दुर्गापुरा,

IndiaCode

जयपुर-302018 (राजस्थान)।

(viii) श्री संजय माथुर, सदस्य;
1/3, माणिक्य टावर, आचार्य भवन,
स्टाफ कलोनी मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
जयपुर-302017 (राजस्थान)।

(ix) डा. ओम प्रकाश, सदस्य;
बी-82, कृष्णा नगर, पाली रोड,
जोधपुर-342005 (राजस्थान)।

(x) अपर मुख्य पर्यावरण अभियंता या वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, सदस्य-सचिव।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-3

(i) श्री दया राम सहारन, -अध्यक्ष;
वी-सी-33, जय नारायण व्यास कालोनी,
बीकानेर, राजस्थान।

(ii) श्री मांगी लाल सोनल, सदस्य;
5-डी-31 कुड़ीभगतासनी हाउसिंग बोर्ड,
जोधपुर-342005 (राजस्थान)।

(iii) श्री विक्रम सिंह सांखला, सदस्य;
हाउस नं. 25-बी, भगत सिंह मार्ग,
मंडोर रोड, महामंदिर सर्किल,
जोधपुर-342006 (राजस्थान)।

(iv) श्री अनिल कुमार वर्मा, सदस्य;
बी-135, आनंद विहार, रेलवे कलोनी,
जगतपुरा, जयपुर-302017 (राजस्थान)।

(v) श्री राजेश माथुर, सदस्य;
17-ई/251, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड,
जोधपुर, 342008 (राजस्थान)।

(vi) डा. अमर नाथ मोदी, सदस्य;
प्रोफेसर,
मुगनीराम बांगुर मैमोरियल इंजीनियरिंग कालेज,
108, रतन नगर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रोड,
जोधपुर-342014 (राजस्थान)।

(vii) अपर मुख्य पर्यावरण अभियंता, सदस्य-सचिव।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।

IndiaCode

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-4

(i) श्री राहुल भटनागर, -अध्यक्ष;
22, देवाली, पैनारोमिक अपार्टमेंट के नजदीक,
विद्या विहार, उदयपुर-313001 (राजस्थान)।

(ii) श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य;
5-अहिंसापुरी, फतेहपुरा,
उदयपुर-313001 (राजस्थान)।

(iii) श्री नवीन कुमार व्यास, सदस्य;
364, नवीन निकुंज,
टीचर्स कलोनी, अंबामाता,
उदयपुर-313001 (राजस्थान)।

(iv) श्री सतीश कुमार श्रीमाली, सदस्य;
हाउस नं. 404, सेक्टर-11,
हिरन मगरी, उदयपुर-313001 (राजस्थान)।

(v) डा. अनुपम भटनागर, सदस्य;
5, महावीर नगर, तुलसी निकेतन हास्टेल के पीछे,
सेक्टर 4, हिरन मार्गी,
उदयपुर-313002, राजस्थान।

(vi) अपर मुख्य पर्यावरण अभियंता, सदस्य-सचिव।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।

IndiaCode

5. सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समितियों की उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट जिलों पर अधिकारिता होगी, जो निम्न प्रकार है:-

सारणी

क्र.सं.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति	**अधिकार क्षेत्र**
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1	कोटा
		बूंदी
		झालावाड़
		बारां
		करौली
		धौलपुर
		भरतपुर
		सवाई माधोपुर
2.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2	दौसा
		अलवर
		जयपुर
		झुनझुनु
		टोंक
		सीकर

		अजमेर
		नागौर
3.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-3	जोधपुर
		सिरोही
		पाली
		बाड़मेर
		जालौर
		बीकानेर
		जैसलमेर
		श्री गंगानगर
		चुरू
		हनुमानगढ़
4.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-4	उदयपुर
		बांसवाड़ा
		प्रतापगढ़
		डुंगरपुर
		राजसमंद
		चित्तौड़गढ़
		भीलवाड़ा

IndiaCode

6. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. प्राधिकरण और समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण और समितियों के अध्यक्ष और सदस्य -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जिनका उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण और समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य और समिति के अध्यक्ष या सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठक से बचेगें।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. राजस्थान राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेंगी और सचिवालय, वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा ।

11. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता राजस्थान राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/29/2007-आई.ए.।।(।)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2024

S.O. 5339(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Rajasthan (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: —

(i) Shri Munish Kumar Garg, -Chairman;
B-1/528, Chitrakoot,
Vaishali Nagar,
Jaipur-302021(Rajasthan).

(ii) Shri Manphool Singh, -Member;
55, Parvati Marg, Lions Lane,
Hanuman Nagar Extension Sirsi Road,
Jaipur (Rajasthan).

(iii) Secretary, -Member Secretary.
Department of Environment,
Government of Rajasthan,
Jaipur (Rajasthan).

2. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committees constituted under paragraphs 5 of the said notification.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Rajasthan, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes following State Level Expert Appraisal Committees for the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the Committees) comprising of the following persons, namely:——

State Level Expert Appraisal Committee-1

(i) Shri Ajay Kumar Gupta, -Chairman;
B-158 Janta Colony,
Jaipur (Rajasthan).

(ii) Shri Akshay Singh, -Member;
Flat No-401, Aarudha Apartments,
D-44 Shanti Path,
Jaipur (Rajasthan).

IndiaCode

(iii) Shri Buddhi Prakash Pareek, -Member;
19, Brij Colony, Behind Chambal Power House,
Chhabra Marg, Hawa Sadak,
Jaipur-302019 (Rajasthan).

(iv) Shri Devendra Kumar Joshi, -Member;
10, Nirmohi Nagar, Purani Chungi,
Ajmer Road, Jaipur-302019 (Rajasthan).

(v) Shri Mahesh Chandra Sharma, -Member;
Flat No-201, Kings Landing Apartment,
A-40, Tilak Nagar, Jaipur (Rajasthan)

(vi) Shri Om Prakash Gupta, -Member;
599, Vijay Nagar, Behror Road,
Alwar (Rajasthan).

(vii) Shri Rajeev Pareek -Member;
Flat No-301, Sheetal Apartment,
Near Sheetla Mata Mandir, New Colony, Gumanpura,
Kota Rajasthan -324007 (Rajasthan).

(viii) Shri Brahm Dutt Sharma, -Member;
A-77, Nemi Nagar,
Gandhi Path, Vaishali Nagar,
Jaipur-302021(Rajasthan).

(ix) Shri Nand Kumar Khare, -Member;
Plot No-85, Mohan Nagar,
Gopalpura Byepass,
Jaipur, -302018 (Rajasthan).

(x) Shri Upender Pandel, -Member;
B-15, Staff Colony, MNIT,
JLN Marg, Jaipur -302017
(Rajasthan).

(xi) Additional Chief Environmental Engineer or Senior Environmental Engineer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur. -Member Secretary.

IndiaCode

State Level Expert Appraisal Committee-2

(i) Shri Tikam Chand Verma, -Chairman;
C-418, Mahesh Nagar,
Near Asian Public School,
Jaipur (Rajasthan).

(ii) Shri Amar Singh Gothwal, -Member;
563-S, Hanuman Nagar Extension Sirsi Road,
Jaipur-302012 (Rajasthan).

(iii) Shri Karan Singh, -Member;

30, Officer's Campus Extensions,
Shiv Marg, Sirsi Road, Jaipur-302012 (Rajasthan).

(iv) Shri Pushkar Singh Shekhawat, -Member;
B-16, Vaishali Nagar,
Jaipur (Rajasthan).

(v) Shri Khem Chand Gupta, -Member;
7-A, Dayal Nagar, Gopalpura Byepass,
Jaipur -302015 (Rajasthan).

(vi) Shri Rakesh Gupta, -Member;
B-539, Indra Vihar,
Kota-324005(Rajasthan).

(vii) Shri Om Prakash Pareek, -Member;
Flat No.A-1602, Manglam Radiance,
Near Hotel Royal Orchid, Durgapura,
Jaipur-302018 (Rajasthan).

(viii) Shri Sanjay Mathur, -Member;
1/3, Manikya Tower, Acharya Bhawan,
Staff Colony Malaviya National Institute of Technology,
Jaipur-302017 (Rajasthan).

(ix) Dr. Om Prakash, -Member;
B-82, Krishna Nagar, Pali Road,
Jodhpur-342005 (Rajasthan).

(x) Additional Chief Environmental Engineer or Senior Environmental Engineer, -Member Secretary.
Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.

IndiaCode

State Level Expert Appraisal Committee-3

(i) Shri Daya Ram Saharan, -Chairman;
V-C-33, Jai Narayan Vyas Colony,
Bikaner, Rajasthan.

(ii) Shri Mangi Lal Sonal, -Member;
5-D-31 Kudibhagtasani Housing Board,
Jodhpur-342005 (Rajasthan).

(iii) Shri Vikram Singh Sankhla, -Member;
House No. 25-B, Bhagat Singh Marg,
Mandore Road, Mahamandir Circle,
Jodhpur-342006 (Rajasthan).

(iv) Shri Anil Kumar Verma, -Member;
B-135, Anand Vihar, Railway Colony,
Jagatpura, Jaipur, 302017 (Rajasthan).

(v) Shri Rajesh Mathur, -Member;
17-E/251, Chopasni Housing Board,
Jodhpur, 342008 (Rajasthan).

(vi) Dr. Amar Nath Modi, -Member;
Professor,
Mugneeram Bangur Memorial Engineering College,
108, Ratan Nagar, All India Institute of Medical Sciences Road,
Jodhpur-342014 (Rajasthan).

(vii) Additional Chief Environment Engineer, -Member Secretary.
Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.

State Level Expert Appraisal Committee-4

(i) Shri Rahul Bhatnagar, -Chairman;
22, Dewali, Near Panaromic Apartment,
VidyaVihar, Udaipur 313001, (Rajasthan).

(ii) Shri Om Prakash Sharma, -Member;
5-Ahinsapuri, Fatehpura,
Udaipur -313001, (Rajasthan).

(iii) Shri Naveen Kumar Vyas, -Member;
364, Naveen Nikunj,
Teachers Colony, Ambamata, Udaipur-313001 (Rajasthan).

(iv) Shri Satish Kumar Shrimali, -Member;
House No. 404, Sector-11,
Hiran Magri, Udaipur-313001 (Rajasthan).

(v) Dr. Anupam Bhatnagar, -Member;
5, Mahaveer Nagar, Behind Tulsi Niketan Hostel,
Sector 4, Hiran Magri,
Udaipur-313002, Rajasthan.

(vi) Additional Chief Environment Engineer, -Member Secretary.
Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.

5. The State Level Expert Appraisal Committees (specified under column (2) of the Table shall exercise jurisdiction over districts specified in the corresponding entry under column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

S.No.	State Level Expert Appraisal Committee	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	State Level Expert Appraisal Committee -1	Kota
		Bundi
		Jhalawar
		Baran
		Karauli

IndiaCode

		Dholpur
		Bharatpur
		Sawai Madhopur
2.	State Level Expert Appraisal Committee -2	Dausa
		Alwar
		Jaipur
		Jhunjhunu
		Tonk
		Sikar
		Ajmer
		Nagaur
3.	State Level Expert Appraisal Committee -3	Jodhpur
		Sirohi
		Pali
		Barmer
		Jalore
		Bikaner
		Jaisalmer
		Shri Ganganagar
		Churu
		Hanumangarh
4.	State Level Expert Appraisal Committee -4	Udaipur
		Banswara
		Pratapgarh
		Dungarpur
		Rajsamand
		Chittorgarh
		Bhilwara

IndiaCode

6. The Chairman and Members of the Authority, and the Committees, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The Authority and the Committees shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. In order to avoid any conflict of interest,—

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committees shall,—

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committees during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority, and the Committees have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, or the Committees as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

9. The Committees shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if cannot be reached consensus, the views of the majority shall prevail.

10. The State Government of Rajasthan shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committees which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committees, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Rajasthan.

[F. No. J-11013/29/2007-IA.II(I)]

RAJAT AGARWAL , Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.11 19:47:59 +05'30'